

१०

व्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, खालियर
समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक अपील 805—पीबीआर/15 विरुद्ध आदेश दिनांक 26-3-2015 पारित
द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद, प्रकरण क्रमांक 331/अपील/2013-14.

राजेश आ० श्री शिवनारायण माली
निवासी ग्राम सोडलपुर तहसील रहटगांव
जिला हरदा म०प्र०

.....अपीलार्थी

विरुद्ध

- 1—श्रीमती गीताबाई पत्नी श्री मूलचन्द माली
- 2—श्रीमती सुनीता पत्नी श्री प्रवीण पुत्री श्री मूलचन्द माली,
निवासीगण ग्राम सोडलपुर तहसील रहटगांव,
जिला हरदा म०प्र०
- 3—नितिन आ० श्री दिग्म्बर राव गोखले
निवासी ग्राम बटराखेड़ी तहसील रहटगांव
जिला हरदा म०प्र०

.....प्रत्यर्थीगण

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री जे०पी०शर्मा, अभिभाषक, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 व 2
श्री बी०एस०चौहान, प्रत्यर्थी क्रमांक 3

आ दे श

(आज दिनांक ७/३/१५ को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता
कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित
आदेश दिनांक 26-3-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संकेत में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 व 2 द्वासा अपर कलेक्टर जिला हरदा के समक्ष संहिता की धारा 107(5) के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र ग्राम गुरारखेड़ तहसील रहटगांव जिला हरदा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 80/21 रकबा 2.023 हेक्टेयर उसे भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है। उक्त सर्वे क्रमांकों में से रकबा 0.50 एकड़ नक्शा अक्षा में कम बनी हुई है अतः नक्शा दुरुस्त किया जाये। जाचोंपरांत अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 29-8-2014 को आदेश पारित कर प्रकरण तहसीलदार रहटगांव को प्रश्नाधीन भूमि का बटांकन कर विधिवत् सुनवाई एवं आपत्तियों का निराकरण कर आदेश पारित करने हेतु भेजा गया। अपर कलेक्टर जिला हरदा के आदेश के विरुद्ध अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और आयुक्त द्वारा दिनांक 26-3-2015 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाकर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :—

(1) अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ भेजा गया है कि प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 80 के बटांकन कर सभी भू-धारकों की विधिवत् रूप से सुनवाई कर तथा आपत्तियों का निराकरण कर मौके के अनुसार नक्शा तैयार किया जावे ताकि बिना किसी विवाद के सर्वे क्रमांक 80 से सभी बटांक निर्मित हों। यह ध्यान रखा जावे कि खसरा नम्बर 80 के विभक्ति किये गये बटांक नम्बरों के कुल रकबे में भिन्नता न हो। नक्शा दुरुस्ती का प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी टिमरनी के माध्यम से प्रस्तुत करें। उक्त कार्यवाही वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही है और अपर कलेक्टर द्वारा गुणदोष पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, इसलिये अपर आयुक्त के समक्ष अपील संहिता की धारा 46(घ) के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत की गई है, क्योंकि उक्त प्रावधान के अनुरूप अंतरिम आदेश के विरुद्ध अपील श्रवण योग्य नहीं होकर निगरानी प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है।

(2) संहिता में हुये संशोधन के फलस्वरूप निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार केवल राजस्व मण्डल को प्राप्त है, इसलिये आयुक्त द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार रहित आदेश है।

(3) सर्व क्रमांक 80 के कुल रकबा 76.96 एकड़ के लगभग 24 पृथक पक्षकारों के बटान अकित है और नक्शे में सुधार किये जाने से सभी पक्षकारों के हित प्रभावित हो रहे हैं इसलिये अंतिम आदेश पारित करने के पूर्व सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था, इस कारण अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण तहसीलदार को सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है और अपर कलेक्टर के आदेश को आयुक्त द्वारा निरस्त करने में त्रुटि की गई है, इसलिये आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) राजस्व निरीक्षक एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा पृथक पृथक जॉच कर पृथक पृथक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिनमें विरोधाभास है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार किये बिना ही विवादित आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है।

(5) आयुक्त द्वारा अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त करने के उपरांत यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि नक्शा दुरुस्ती की कार्यवाही की जायेगी अथवा नहीं। इस कारण भी आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ प्रत्यर्थी क्रमांक 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 107(5) के अन्तर्गत कलेक्टर को नक्शा दुरुस्ती के अधिकार प्राप्त है, अतः उन्हें राजस्व निरीक्षक एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर प्रकरण में अंतिम आदेश पारित करना था, परन्तु उनके द्वारा प्रकरण तहसीलदार को भेजने में क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है। यह भी कहा गया कि पूर्व में अपर कलेक्टर द्वारा 2 बार जॉच कराई जाकर प्रतिवेदन मंगाये गये हैं, अतः पुनः तीसरी बार जॉच करने का कोई औचित्य नहीं होने से अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश विधि विपरीत था जिसे निरस्त करने में आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर द्वारा बार बार जॉच कराये जाने से प्रकरण अनावश्यक रूप से विलम्बित हो रहा है और नक्शे में संशोधन नहीं पा रहा है।

5/ प्रत्यर्थी क्रमांक 5 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान में उनके रकबे में कोई कमी नहीं है और उनकी भूमि का रकबा

.....

.....

नक्षे में जहाँ है इसलिये उन्हें प्रकरण में कोई उपचार नहीं चाहिये, वशर्ते कि नक्शा संरोधन करने में उनकी भूमि प्रभावित न हो ।

६/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश में मात्र त्रुटियों होने का उल्लेख किया गया है, परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपर कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करने में कौन-कौन सी त्रुटियों अथवा अनियमितताएं की गई हैं । इस प्रकरण में महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न यह है कि जिन बिन्दुओं पर अपर कलेक्टर को निर्णय करना था, उनका निराकरण नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में जिन बिन्दुओं का निराकरण अपर कलेक्टर द्वारा नहीं किया गया है, उन बिन्दुओं पर आयुक्त द्वारा उभयपक्ष को सुनकर विधिवत् आदेश पारित किया जाना चाहिये था, परन्तु ऐसा नहीं कर आयुक्त द्वारा विधि की गंभीर भूल की गई है । इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि आयुक्त न्यायालय एवं कलेक्टर न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ कलेक्टर न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे समस्त तथ्यात्मक एवं वैधानिक बिन्दुओं पर उभयपक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर देते हुये विधिवत् बोलता हुआ आदेश पारित करें ।

७/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक २६-३-२०१५ अपर कलेक्टर जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक २९-८-२०१४ निरस्त किये जाते हैं । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण कलेक्टर जिला हरदा को समस्त तथ्यात्मक एवं वैधानिक बिन्दुओं पर उभयपक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर देते हुये विधिवत् बोलता हुआ आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

८/ यह आदेश प्रकरण क्रमांक अपील ८०४-पीबीआर / १५ (राजेश आ०श्री शिवनारायण माली विरुद्ध राकेश कुमार आ० श्री गोकुलदास एवं अन्य ३) पर भी लागू होगा । अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरण में संलग्न की जाये ।


(मनोज गोयल)

अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर